वॉइस ऑफ ओबीसी

सहयोग राशि रु. 20/-

अन्य पिछड़े वर्गों की पत्रिका
अंक 17, जनवरी-अगस्त 2014

नामदेव ढसाल

मानवीय अस्मिता और संघर्ष का नायक
दलित अभिव्यक्ति और आत्माभिमान का योद्धा

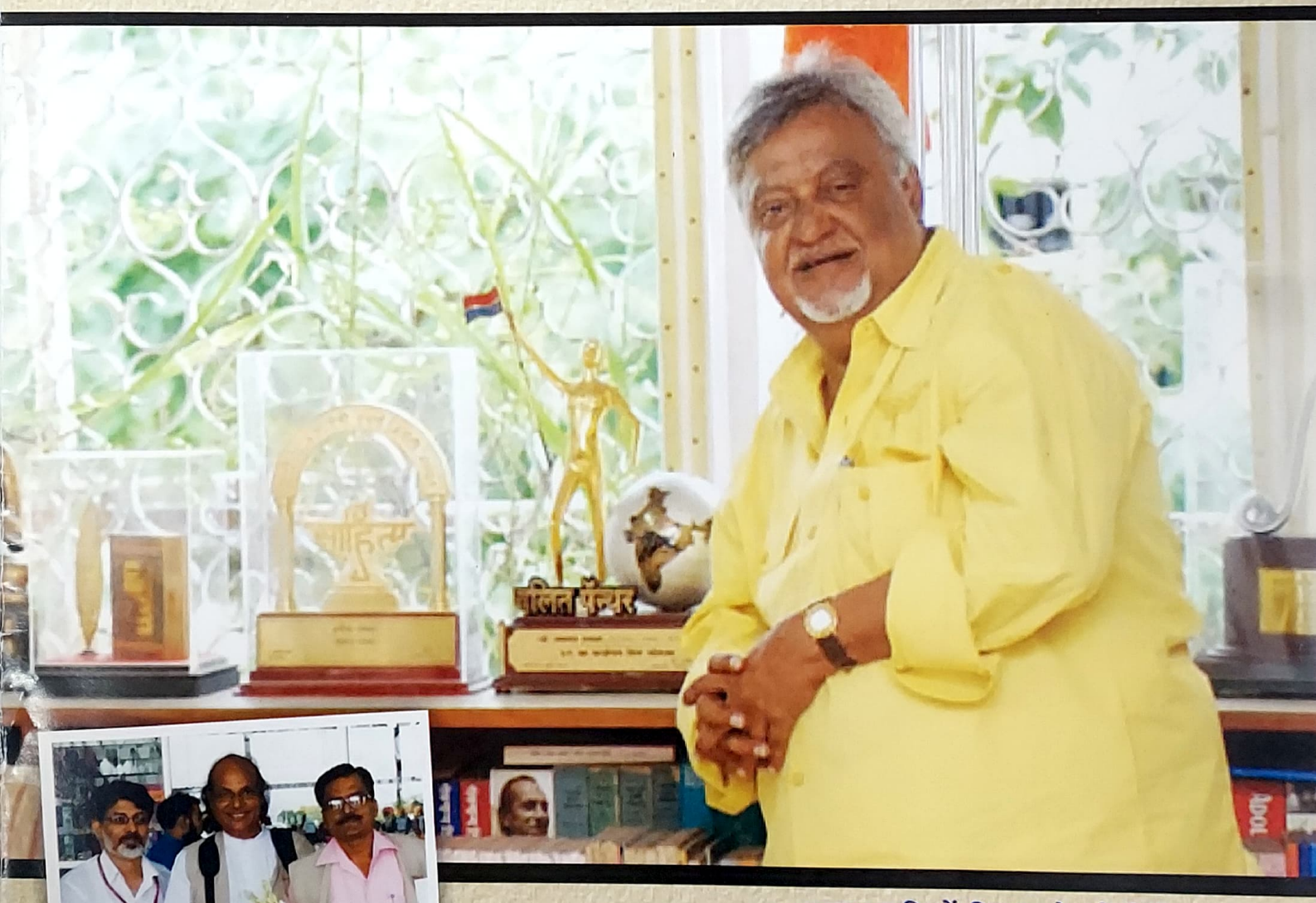

संपादक अशोक आनंद की ब्रुसेल्स की यात्रा - एयरपोर्ट पर डॉ. अमृतांशु ने दी यात्रा की शुभकामनाएं

- उच्च जाति में विवाह से ओबीसी स्टेटस/आरक्षण प्रभावित नहीं
- ओबीसी परीक्षार्थियों ने की आरक्षण सीमा पार/ IIT-JEE के कॉमन लिस्ट में 4085 परीक्षार्थी उत्तीर्ण
- उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ाई ओबीसी क्रीमीलेयर सीमा 8 लाख

पार्लियामेंटरी फोरम ऑफ ओबीसी एमपीज् की बैठक

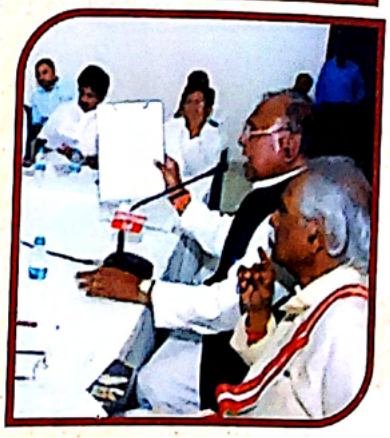

6 अगस्त 2014/नई दिल्ली : पार्लियामेंटरी फोरम ऑफ ओबीसी एमपीज की बैठक नई दिल्ली स्थित कन्स्टि्युशन क्लब के डिप्टी स्पीकर हॉल में आहुत की गई। फोरम के कन्वेनर माननीय सांसद श्री हनुमंत राव ने मीटिंग की अध्यक्षता की एवं नये निर्वाचित सांसदों का स्वागत किया। हनुमंत राव ने संक्षेप में फोरम की उपलब्धियों से उपस्थित सभी माननीय सांसदों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार दिए जाने की तीव्र आवश्यकता है।

बैठक में 45 से अधिक सांसदों ने भागीदारी की, जिनमें माननीय मंत्री श्री उपेन्द्र कुशवाहा, वरिष्ठ नेता श्री शरद यादव, प्रो0 राम गोपाल यादव, श्री हुकुमदेव नारायण यादव, श्री बंडारू दत्तात्रेय, श्री के. केशव राव, डा0 अबुमणि रामादास, श्री टी देवेन्दर गौड़, डॉ0 के.पी. रामालिंगम, श्रीमती बुटा रेणुका, श्रीमती संतोश अहलावत आदि उपस्थित थे। सभी उपस्थित सांसदों ने एकमत से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार दिए जाने की जोरदार वकालत की और सर्व सम्मति से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से ओबीसी सांसदों के डेलिगेशन के मिलने का निर्णय लिया। सभी उपस्थित सांसदों ने प्रधानमंत्री को संबोधित हस्ताक्षरित ज्ञापन भी सौपने का निर्णय लिया। बैठक में सभी सांसदों को फोरम के कन्वेनर मा0 सांसद श्री हनुमंत राव ने सम्मानित किया। बैठक के आयोजन में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेज इम्प्लाईज वेलफेयर एसोसिएशनस् के महासचिव श्री जी.करूणानिधि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वॉइस ऑफ ओबीसी के संपादक अशोक आनंद की ब्रुसेल्स यात्रा

4 अगस्त 2014 को पर्यटन के सिलसिले में ब्रुसेल्स की यात्रा पर गए। उनके साथ उनके सहयोगी मित्र प्रदीप कुमार वर्मा भी हैं। लोकिस्ट्री नगर के मेयर ने उन्हें आमंत्रित किया है। वे वहां के स्कूलों एवं क्लबों में सारनाथ गंगा, काशी एवं भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी देगें।

वॉइस ऑफ ओबीसी

अन्य पिछड़े वर्गों की द्विमासिकी

अंक - 17, जनवरी, अगस्त 2014

संपूर्ण संचालन अवैतनिक

(सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन)

संरक्षक
प्रो. एस.एस. कुशवाहा

परामर्श
जी. करुणानिधि, जे. पार्थसारथी
रवीन्द्र राम

प्रकाशक
रानी अमृतांशु

संपादक
अशोक आनंद
9415224153

मानद संपादक
अमृतांशु
9415392194

मानद सह संपादक
डा. हेमन्त कुमार
9453359701
विनोद प्रसाद शर्मा
9415889947
नवीन कुमार यादव
9415517017

प्रबंधक
अरविन्द कुमार

सहयोग
बसंत आर्य, सुनील कुमार, अशोक कुमार, विजय कुमार, डी.डी. प्रसाद, उमेश कुमार कुमार शशि, उपेन्द्र कुमार पाल, जयशंकर कुमार, मो. जलालुद्दीन, ऋषिकांत प्रसाद, दिलीप प्रसाद मेवा लाल यादव

पत्राचार
ई-मेल : aiobc.up@gmail.com
द्वारा- होटल सुरभि इण्टरनेशनल
पहड़िया, वाराणसी-221007

इस अंक सहयोग रा! : 20 रुपये

डाक खर्च के साथ वार्षिक सहयोग 60/- डीडी/चेक "Voice of OBC" के नाम वाराणसी में देय भेजें।

प्रकाशित रचनाओं से संपादन मंडल की वैचारिक सहमति आवश्यक नहीं।

प्रकाशित लेखों संदर्भों के पुर्नप्रकाशन से पूर्व अनुमति ले।

समस्त वाद विवादों का निपटारा वाराणसी न्यायालय में मान्य।

मुद्रक
प्रतीक प्रिंटर्स, वाराणसी। मो.: 9415623047

•डॉ. अमृतांशु

नामदेव ढसाल

अन्धकार और पीड़ा की पृष्ठभूमि पर अस्मिता और आत्मसम्मान के लिए संघर्षरत बारूद भरे शब्दों का सर्जक दलित महानायक और महान रचनाकार

कुछ शख्सियतें कभी खत्म नहीं होती। दुनिया को राह दिखाते थे कहीं क्षितिज के पार कहीं ओझल हो जाती हैं...! नामदेव ढसाल उन्हीं में से एक थे . . .

नामदेव ढसाल नहीं रहे। उन्होंने पिछले दिनों बाम्बे हॉस्पिटल के आईसीयू में अपनी आखिरी सांसे ली। वे 64 के थे।वे मराठी क्रान्तिकारी, परिवर्तनगामी और आक्रोशपूर्ण भाषा रचने वाले कवि के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात थे। वे दलित थे। दलितों के आत्मसम्मान की लड़ाई उन्होंने मरते दम तक लड़ी। इस आत्मसम्मान की लड़ाई को सांघटनिक ढ़ांचा देने के लिए 23 साल की उम्र में कुछ साथियों के साथ मिलकर "दलित पैन्थर" की स्थापना की। साहित्य अकादमी ने उन्हें जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया और भारत सरकार ने पद्यश्री प्रदान किया।

नामदेव ढसाल का जीवन चरित्र चौंकाने वाला है। 15 फरवरी 1949 को आजाद भारत में वे पैदा हुए। भारत की सामाजिक पृष्ठभूमि – जातियों में जकड़ा समाज। जहां मनुष्य कर्म से नहीं, जन्म और जातियों के कारण बड़ा या छोटा था। बहरहाल नामदेव की जाति थी महार। बस्ती थी बम्बई की बदनाम गलियां "गोलपीठा" जहां औरते पेट की भूख, लाचारी, बेबसी के कारण अपना जिस्म बेचने के लिए अभिशप्त थी। पिता यहीं कसाईघर में काम करते थे। नामदेव के लिए हर ओर निराशा थी। किसी तरह अपनी शिक्षा पूरी की। अभी जिन्दगी की भोर हुई ही थी और नामदेव का साबका तकलीफों और संघर्षों से पड़ चुका था। विपरित परिस्थितियों में भी सबकुछ स्वीकार करने वाला नामदेव जिन्दगी की शर्तों से समझौता नहीं किया न ही गंदी बस्ती में पैदा होने का अभिशाप कभी स्वीकार किया। उजाले में पूरी दुनिया पूरी बम्बई नामदेव ने देखी और देखा कि दुनिया में हकों का बंटवारा सही नहीं है। जिन्दगी जीने के लिए न्यूनतम बुनियादी चीजें जैसे आदमी की गैरत, उसका आत्मसम्मान तक में फरेब था। ऐसे में एक मात्र विकल्प था – लड़ना।

लेकिन नामदेव की परवरिश बेमिशाल थी । किशोर होते–होते नामदेव जान चुका था कि शब्दों और साहित्य में बड़ी ताकत है और दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र कलम और बारूद शब्द हैं। और नामदेव ने अपने सारे आक्रोश और मन की छटपटाहट शब्दों को सौंप दी। धधकते दुःखों और अपने समय का यथार्थ लेकर नामदेव की पहली किताब आई "गोलपीठा"(1973)। मराठी में लिखी गई कविता की इस किताब ने न केवल मराठी लेखन में नये मुहाबरों, नयी परिभाषाओं को जन्म दिया बल्कि मराठी साहित्य को दलित यथार्थ दृष्टिकोण से विमर्श करने के लिए उद्वेलित भी किया। *गोलपीठा* में नामदेव ढसाल ने दलितों, अभाव और लाचारी में राह खोजती बेबस औरतों की पीड़ा का शब्द रूपान्तरण किया है। विख्यात नाटककार विजय तेंदुलकर लिखते हैं कि "नो मैन्स लैंड" जहां से शुरू होता है वहीं से *गोलपीठा* की कविताएं बम्बई की दुनिया में प्रवेश करती है और यह

दुनिया बेशर्म थी, थकी हारी और झुलसी हुई संवेदनाएं थी, मानव देह की दुर्गंध थी, भिखारी थे, जेबकतरे थे, भड़ुवे थे, हिजड़े थे, चकले के दलाल थे, और इन सब के बीच नामदेव आक्रोश और घृणा की सांस ले रहा था। उसने अपनी कविताओं के जरिये अपने लोगों के दिलों में गुस्सा भरा, दलित युवाओं के मन में विद्रोह का बीज बोया.....

'साक्षात घरती के नरक को/हमने अनुभव किया इस शहर में
बहनेवाली गटर गंगाएं/नालियों से बहता गंदा पानी चारों ओर
प्रदूषित हवा और बीमारी के जंतुओं की खैरात
थाली लेकर बैठें तो थाली की ओर/छलांग लगाने वाले कीड़े नरक के...!
पेट की आग ने / कहां लाकर/ पटक दिया हमें ?
सारी डोर काट दी गई / गांव–ढांव की, घर लौट जाने की !

नामदेव अपनी बातें साफ–साफ शब्दों में दुनिया के सामने रखने में विश्वास रखते थे। न किसी का डर न किसी का खौफ, निर्द्वन्द बेबाक, अपना सारा गुस्सा, क्षोभ शब्दों में डालकर रख दिया ...

जिन्होंने हमें ला रखा है /प्रतिशोध के पास
उसे कदापि क्षमा नहीं है / अब हम नहीं हैं
पश्चाताप–दग्ध भूमि के कलिंग–वीर
अब हमारा भी रास्ता जाता है /खून से लथपथ रणभूमि से ... !

नमदेव पिछले कुछ वर्षों से कैंसर से पीड़ित थे। बुधवार, 15 जनवरी 2014 को बॉम्बे हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी एक बड़ी चर्चित कविता याद आती है जो उन्होंने डॉ0 अम्बेडकर 1986' के नाम से लिखा है –

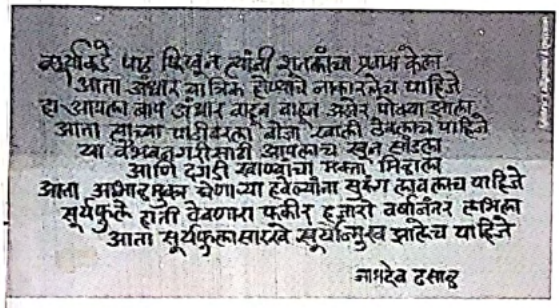

हमारा मरा खून लहलहाने लगा है फिर से
वह हो गया है तलवार के फल से भी ज्यादा जालिम
सचमुच इतना बल कहां से दिया तुमने हमें
चेहरों से सभी मुखैटों को हटाकर मुझे जगाने दो!
.....
.....
आखिरी तृष्णा का घर ध्वस्तकर मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास .

1975 में *गोलपीठा* के प्रकाशित होने के बाद नामदेव ढसाल कवि के रूप में स्थापित हो गए। उसके बाद उनकी कई किताबें प्रकाशित हुई – 'मूर्ख बूढ़े ने पहाड़ हिलाया' (1975), 'हमारे इतिहास की एक अपरिहार्य पात्र : प्रियदर्शनी' (1976), 'तुम्हारीइयत्ता क्या है' (1981), 'खेल' (1983), 'गांडू बगिचा'(1986), 'इस सत्ता में मन नहीं रमता' (1995), 'मैंने मारे सूरज के रथ के सात घोड़े' (2005), 'तुम्हारी अंगुली पकड़कर चल रहा हूँ मैं' (2006) आदि...

नामदेव ढसाल ने अपने एक संग्रह में लिखा है कि, 'मेरे लिए शब्द पिस्तौल की गोलियां हैं न कि दीपावली में छोड़े जाने वाले पिस्टल, इन्हें सही मौके पर एवं मित्रों के लिए करना चाहिए। भारत सरकार ने ढसाल साहब को पद्मश्री से सम्मानित किया और साहित्य अकादमी ने लाइफटाईम सम्मान से नवाजा।

दलितों के आत्मसम्मान एवं अधिकारों के लिए नामदेव ढसाल ने सन् 1966 में "दलित पैन्थर" नामक संगठन की स्थापना की। मूलतः अमेरिका के अश्वेत आन्दोलन "*ब्लैक पैन्थर*" से प्रेरित होकर इसकी स्थापना की गई थी। वे अपने को पैन्थर कहलाना पसंद करते थे क्योंकि उनका मानना था कि पैन्थर की तरह विरोधियों और शाशकों की असीम ताकत या शक्ति के खिलाफ उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी।

आज वे हमारे बीच नहीं हैं किंतु उनके जज्बात और इरादें हमारे बीच हैं। हम उन्हें वॉइस ऑफ ओबीसी परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं एवं विश्वास व्यक्त करते हैं कि सामाजिक न्याय की उनकी लड़ाई में हम एक और ईंट अवश्य जोड़गें।

Blog : signpost2.blogspot.com
E-mail : aiobc.up@gmail.com

V. HANUMANTHA RAO
MEMBER OF PARLIAMENT (RS)

Convenor : PARLIAMENTARY FORUM OF OBC MPs
Secretary : ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE

सत्यमेव जयते

11. Janpath, New Delhi-110011
Tel.: 011-23795254, Fax : 23795016
Mobile : 9868181134
E-mail : vhr1948@gmail.com

6th August 2014

Sri, Narendra Modi
Hon'ble Prime Minister
Govt. of India,
New Delhi.

Respected Sir,

Constitutional Powers to National Commission for Backward Classes & Amendments to NCBC Act, 1993

We would like to state that as decided at the meeting of the Parliamentary Forum of OBC MPs held today (6.8.2014) at Dy. Speaker Hall, New Delhi, we submit the following for your favorablel consideration.

The National Commission for Backward Classes constituted under the Act of 1993 passed by the Parliament has the power to examine requests for inclusion or exclusion of any class of citizens as a Backward Class and tender such advice to the Central Government as it deems appropriate.

It may be pointed out that the above limited functions of NCBC will not be enough to improve the condition and status of backward classes and hence requires effective provisions towards development and advancement of backward classes incorporated in the NCBC Act 1993.

In the absence of any other safeguards or mechanism except the NCBC which alone is in a position to look into the gamut of the problems of backward classes, the Commission in its three National Conferences, apart from sending letters, had adopted resolutions recommending the Government to amend the NCBC Act 1993 suitably and to entrust powers extended similar to that of National Commission for SC and ST.

Several representations from backward classes/ associations regarding complaints of violation of the rule of reservation and also other grievances remain unattended by the NCBC and even when forwarded to National Commission for SC under Article 338 (10), the same is not addressed by SC Commission also, as they are over burdened with their matters.

After the formation of Parliamentary Committee for OBC, the Matter was discussed with the Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment and in its First Report presented to the Parliament 24.08.2012, the Committee on Other Backward Classes passed a resolution as under :

In view of the importance of the subject, the Committee examined various facets of empowerment of the NCBC and taking initiative in this regard the Committee passed the following Resolution unanimously at their sitting held on 24th July, 2012 :-

"Committee on welfare of Other Backward Classes is of firm view that immediate action should be initiated for amending Indian Constitution and NCBC Act appropriately for setting up NCBC with constitutional status and exercising identical powers as given to NCSC and NCST (in relation to SCs and STs). Nature and extent of powers concerning OBCs are already in Article 338 (5). Those powers should be entrusted to NCBC in relation to OBCs

and not to NCSC.

It is, therefore, necessary that Article 338(10) should be deleted and a new Article 338B should be inserted to establish NCBC. The Constitution amendment should also include existing powers of NCBC under prevailing NCBC Act vis., powers to include in or exclude from list of OBCs and obligation on Go I to consult NCBC for list revision.

The Committee feels that NCSC has not been able to discharge its functions pertaining to OBCs due to its overwhelming preoccupation with the affairs of SCs. The Committee, therefore, strongly recommends that all issues pertaining to welfare of OBCs including complaints/grievances etc. should be dealt with by NCBC. This may be done only by amending the Constitution.

(First report of Committee on OBC dt : 24.08.2012)

Subsequently, few other meetings were also conducted in which the Secretary of Ministry of Social Justice and Empowerment stated that the "matter is being examined and under active consideration". This had been the permanent reply by the Ministry for the past 15 years.

We also like to state that in many of the Departments and Public Sector Undertakings, the rosters to be maintained by the department on the recruitments has not been maintained properly and the backlog vacancies of OBCs has not been filled up also.

As there is no other mechanism to inquire and monitor these policies, the government's order of reservation policy remains ineffective for the OBCs as is reflected in the annual report of Ministry of Personnel that states that the representation of OBCs in Group A services is less than 8%.

We the Members of Parliament belonging to OBC, who constitute nearly 60% of the population, request you to kindly consider this long pending of the OBCs and to direct the Ministry of Social Justice to bring in suitable amendments in the NCBC Act of 1993 incorporating above functions as stated in the First Report of Parliamentary Committee for OBC, so that the National Commission for Backward Classes plays an effective role for the betterment and development of OBCs.

Thanking you,

Sl.No.	Name	Div.No.	Signature
1	V. Hanumantha Rao (RS)	200	
2	Ram Kumar Kashyap (RS)	68	
3.	Dr. Boora Narsaiah Goud	14	
4.	Rahul Kaswan (LS)	339	
5			
6	Santosh Ahlawat MP Jhunjhunu		
7	Baishnab Parida (RS)	92	
8	DR K.P. RAMALINGAM.	93	

F. No. 2/02/2013-Welfare
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services

To

CMDs of all PSBs/FIs/PSICs.
Deputy Governor RBI,
Chairperson PFRDA and IRDA, IBA

Subject : Implementation of Government instructions on the Welfare of OBC's

Madam/Sir,

I am directed to say that the Parliamentary Committee on Welfare of OBCs (2013-14) has been examining the "Reservation in employment and welfare measures for OBCs in Public Sector Banks (PSBs) and Insurance Companies' During oral evidence before this Committee by the Department of financial Services, the Department of Personnel and Training (DOP&T) and two PSBs on 7th October 2013 and at committee's meetings held in the recent past, it is observed that there is lack of complete clarity among some of the PSBs on welfare measures for OBC employees. Specially, the following issues emerging from existing Govt. instructions, as provided under the mandate of DOP&T, and others provided by DFS as a goodwill gesture, need to be taken note for implementation in PSBs, Financial Institutions, Public Sector insurance Companies and the regulatory authorities of these institutions :

i. To ensure 27% reservation in recruitment for OBC category in all posts and services, except where different percentages for different states have been prescribed for recruitment to Gr. C and D Posts. which normally attract candidates from a locality or region. As there is no reservation in promotion for OBCs. there shall be separate rosters for direct recruitment and for promotion in respect of OBC employees.

ii. As reservation rosters are not secret, these may be kept open for perusal by the representatives of the welfare associations/individual employees.

iii. Candidates recruited on the basis of merit in an open competition on the same standards prescribed for the general candidates shall not be adjusted against the reserved quota for OBC.

iv. Unfilled reserved vacancies, due to non-availability of OBC candidates shall be carried forward for a period of three years.

v. Filling up the backlog vacancies for OBCs by launching special recruitment drive, wherever necesary.

vi. In the process of recruiting 10 or more vacancies in Gr. C and D posts/services, it shall be mandatory to have one member in the Selection Committee/DPC belonging to SC/ST/OBC category.

xi. At least two periodical meetings should be held in a year with the representatives of OBC employees' welfare associations.

xii. Welfare Associations may be provided office space and other facilities, subject to availability of space at Headquarter level, and at least two of their officer bearers may be posted nearer to the HQs, subject to the office exigencies so as to enable them to sort out their day-to day grievances.

2. Besides above, the feasibility of implementation of the following issues emerging during discussions with the Parliamentary Committee, or raised by different OBC employees' welfare associations also need to be considered, subject to exigencies and with the approval of the respective Board, if not already undertaken :

i. Separate Cell for OBC employees.

ii. Providing pre-recruitment and pre-promotion training to OBC employees to bring them at par with other employees.

iii. Nomination of adequate number of OBC employees for seminars, symposia, conferences and foreign training to enhance their skills.

iv. Organizing periodical workshops on reservation for the benefit of representatives of OBC employees' welfare associations.

3. It is requested that the government instructions on the welfare of OBC's issued from time to time, and points emerging during discussion at the meetings of the parlimentary Committee on welfare of OBCs be implemented in letter and spirit in your institution.

Yours faithfully

6/11/2013

(J.S. Phaugat)
Under Secretary to the Govt. of India
Phone No. 011-23748725.

F.No.42011/2/2014-Estt.(Res)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel &Training

....

New Delhi, dated the 13th February, 2014

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Representation of SC, ST, OBC, Minorities and the Women on Selection Board/Committees.

The undersigned is directed to draw attention of the Ministries/Departments to this Department's O.M. No.42011/15/1995-Estt(SCT) dated 11th July, 1995. Para 2 provided as follows:-

> " 2. In partial modification of the above instructions it has now been decided that wherever a Selection Committee Board exists or has to be constituted for making recruitment to ten or more vacancies in Group 'C' or Group 'D' posts or services it shall be mandatory to have Member belonging to SC/ST/OBC and one Member belonging to Minority Community in such Committees/Boards. Further, one of the Members of the Selection Committees/Boards whether from the general category or from the minority community or from SC, ST,OBC should be a lady failing which a lady member should be co opted on the Committee/Board. It may please be ensured that where the number of vacancies against which the selection is to be made is less than ten no effort should be spared in finding SC/ST/OBC officers, minority community officer and a lady officer as explained in para (2) for inclusion in such Committees/Boards. "

2. The matter has been reviewed and in partial modification of above instructions, it has now been decided that wherever a Selection Committee/Board exist or has to be constituted for making recruitment to 10 or more vacancies in any level of posts or services, it shall be mandatory to have one Member belonging to SC/ST, one Member belonging to OBC category and one Member belonging to Minority Community in such Committees/Boards. Further, one of the members of the Selection Committee/Board, whether from the general category or from the minority community or from the SC/ST/OBC community should be a lady failing which a lady member should be co-opted on the Committee/Board. It may also be ensured that where the number of vacancies against which selection is to be made is less than ten, no effort should be spared in finding the SC/ST, OBC officer and the Minority Committee Officer and a lady officer, for inclusion in such Committees/Board.

.......2/-

3. Similar instructions in Public Sector Undertakings and Financial Institutions including Public Sector Banks will be issued by Department of Public Enterprises and Ministry of Finance respectively.

(Sandeep Mukherjee)
Under Secretary to the Government of India

To

1. All Ministries/Departments of the Govt. of India
2. Department of Public Enterprises, CGO Complex, New Delhi 110003.
3. Department of Financial Services, Ministry of Finance, Jeevandeep Building, New Delhi 110001
4. Railway Board
5. Supreme Court of India/Election Commission/ Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/Central Vigilance Commission/President's Secretariat/Prime Minister's Office, Planning Commission.
6. National Commission of Scheduled Castes/ National Commission of Scheduled Tribes, Lok Nayak Bhavan New Delhi
7. National Commission for OBC, Trikoot-I, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi
8. Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi
9. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
10. All Sections of DOPT.

Copy also to Director,NIC, DOPT with the request to upload in the website of DoPT under the head Estt(Reservation).

Cannot deny quota if person is married in upper caste: HC

Saturday, June 21, 2014, 00:05

Shimla: The Himachal Pradesh High Court on Friday ruled that reservation benefits for underprivileged classes cannot be denied if a person is married in upper caste.

A division bench of Chief Justice Mansoor Ahmed Mir and Justice Trilok Singh Chauhan slapped a fine of Rs 2 lakh on respondents for not issuing OBC (Other Backward Classes) certificate to the petitioner who belonged to OBC category. The bench observed, "For the last five years the petitioner (Neetu) has been dragged from pillar to post by the respondents without any reason." "The only fault of the petitioner is that she was born in a reserved?category and married in an upper caste family."

The court ordered that out of the total costs imposed, Rs 50,000 should be recovered from the Sub-Divisional Magistrate of Mandi, who denied her the certificate and an equal amount from the chairman of the Himachal Pradesh Public Service Commission.

The petitioner had cleared the examination for the post of lecturer (college cadre) Class-I conducted by the State Public Service Commission. She appeared in the interview on August 28, 2009, but was asked to produce the latest OBC certificate. However, she was denied the certificate because she got married into an upper?class Rajput family. During the trial, she was issued the certificate.

The bench also directed the government to give the petitioner seniority according to merit from the date other people have been appointed but without monetary benefits. Of the total costs imposed, Rs one lakh is to be paid to the petitioner and the remainder to be deposited with the state High Court Bar Association Welfare fund. PTI

OBC creamy layer cut-off raised to Rs 8LPA

TNN | Jan 29, 2014, 03.16AM IST

LUCKNOW: The Uttar Pradesh cabinet on Tuesday cleared proposal to increase maximum income ceiling for the creamy layer seeking reservation under Other Backward Castes (OBCs) from Rs 5 lakh per annum to Rs 8 lakh per annum. As per existing provisions, the state government is authorised to raise the ceiling for maximum income under creamy layer once every three years. The income ceiling in 1995 was fixed as Rs 1 lakh. In 2002, it was increased to Rs 3 lakh per annum which was further increased to Rs 5 lakh in 2008. After the maximum income limit increased to Rs 8 lakh per annum on Tuesday, the chairman of the State Backward Castes Commission Ram Asrey Vishwakarma welcomed the move claiming that it will help cover more families which will now be entitled to reservation and education opportunities.

OBC candidates break quota barrier: 4,085 in common merit list in IIT-JEE

Mumbai | June 20, 2014 12:09 pm

Candidates from the Other Backward Classes (OBCs) have broken the reservation barrier this year — 4,085 have made it to the common merit list, that is without any relaxation, as against 2,641 seats available for them. In all, 6,028 OBCs have qualified the Joint Entrance Examination (JEE-Advanced) of the Indian Institutes of Technology (IITs).

This year, the joint implementation committee of JEE (Advanced) has decided to allow twice the number in each category to fill choices. Overall, 19,416 candidates have made it to common merit list.

Across IITs, 27 per cent seats are reserved for OBC, 15 per cent for Scheduled Caste (SC) and 7.5 per cent for Scheduled Tribe (ST) category candidates. For the common merit list, candidates had to score at least 10 per cent in each subject and 35 per cent in aggregate. To be in the OBC list, candidates had to secure at least 9 per cent in each subject and 31.5 per cent in aggregate, that is, 10 per cent relaxation from the aggregate of common merit list. Similarly, for the SC and ST ranking lists, students had to score five per cent in each subject and 17.5 per cent in the aggregate (50 per cent relaxation from the common merit list aggregate).

प्रो. चौथीराम यादव (एक साहित्यिक यात्रा)

जन्म : 29 जनवरी 1941 ई0

जन्म स्थान : उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के अन्तर्गत कायमगंज नामक गाँव के एक साधारण किसान परिवार में।

पिता : श्री राम दयाल।

माता : श्रीमती सहता देवी।

पत्नी : श्रीमती महादेवी।

पुत्र : विजय कुमार, अशोक कुमार, अनुराग कुमार, अमित कुमार और अभिषेक कुमार।

शिक्षा : प्रारम्भिक शिक्षा जौनपुर जिले के स्कूल/कॉलेजों में।

स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी-एच0डी0 हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से।

अध्यापन : नवम्बर 1971 से जनवरी 2003 तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में।

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद से जनवरी 2003 में सेवामुक्त।

प्रकाशन : हिन्दी की विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाओं-'आलोचना', हंस, तद्भव, प्रगतिशील वसुधा, बहुवचन, संवेद, अभिनव कदम, सृजन संवाद, शुक्रवार, दलित अस्मिता, अपेक्षा, बुद्ध संकेत, शब्द योग, उद्भावना, युद्धरत आम आदमी, सोशल ब्रेनवाश, फारवर्ड प्रेस आदि में लगभग 25 शोध-आलेख प्रकाशित।

प्रकाशित पुस्तकें- 'छायावादी काव्य : एक दृष्टि, मध्यकालीन भक्ति काव्य में विरहानभूति की व्यंजना, हिन्दी के श्रेष्ठ रेखाचित्र (संपादित), आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य, जिसका संशोधित परिवर्धित रुप हजारी प्रसाद द्विवेदी समग्र : पुनरावलोकन तथा लोकधर्मी साहित्य की दूसरी धारा।

शोध निर्देशन : प्रो0 चौथीराम यादव के निर्देशन में 44 शोध छात्र/छात्राओं ने पी-एच0डी0 की उपाधि प्राप्त की।

व्याख्यान : राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों और विभिन्न विश्वविद्यालयों के एकेडमिक स्टाफ कालेजों में 200 से ज्यादा व्याख्यान दिये।

सम्मान :

- नीदरलैण्ड में सम्मान आमंत्रित। दि हेग, रोटरडम एवं एम्सटर्डम में, तुलसीदास और भक्ति आन्दोलन केन्द्रित तीन व्याख्यान।
- साहित्य साधना सम्मान-बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना।
- सावित्री त्रिपाठी सम्मान-सावित्री त्रिपाठी फाउण्डेशन, वाराणसी।
- कबीर सम्मान-'बुद्ध संकेत' पत्रिका एवं अशोक मिशन एजुकेशनल सोसाइटी, वाराणसी।
- अस्मिता सम्मान-दलित साहित्य एवं कला केन्द्र, नई दिल्ली।
- अम्बेडकर प्रियदर्शी सम्मान-अशोक मिशन एजुकेशनल सोसाइटी बुद्धनगर, वाराणसी।
- लोहिया साहित्य सम्मान-उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।

संप्रति : समाजवादी प्रतिबद्धता के साथ हाशिये के समाज पर केन्द्रित लेखन एवं सामाजिक न्याय हेतु सांस्कृतिक आन्दोलन की दिशा में सक्रिय।

आवास : एन-13/209/जे-6, ब्रिज इन्क्लेव, सुन्दरपुर, वाराणसी - 221005।

संपर्क सूत्र : मोबाइल नं0-09415989793

ई-मेल : cryadavvns@gmail.com

रैदास के सपनों का समाज

• प्रो0 चौथीराम यादव

मध्यकालीन भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक अन्तर्विरोधों से उत्पन्न भक्ति आन्दोलन शताब्दियों से शोषित-पीड़ित, दलित जनता का विराट जनान्दोलन था जो सामाजिक रुपान्तरण का नया संदेश लेकर आया था। हिन्दी प्रदेश में कबीर और रैदास इसके अग्रदूत थे। गौतम बुद्ध की क्रान्ति के बाद मध्यकालीन इतिहास की यह घटना दूसरी बड़ी सामाजिक क्रान्ति थी। बुद्ध के नवजागरण के बाद यह ऐसा लोकजागरण था जिसके चलते पहली बार हिन्दू-मुस्लिम समुदाय की निम्नवर्गीय जातियों के बीच से उनके अपने साधु-संत और महात्मा पैदा हुए, लोकज्ञानी विद्वान और रचनाकार पैदा हुए जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर अपने साहसिक प्रतिरोध से रक्त-गोत्र की शुद्धता के मिथ्या दंभ पर आधारित वर्चस्ववादी विचार परंपरा के स्थापित मूल्य-मानों को छिन्न-भिन्न कर दिया। आकस्मिक नहीं है कि पूरे देश में रुढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा इन परिवर्त्तनकामी सन्तों-महात्माओं का उत्पीड़न किया गया जो जात-पांत, ऊँच-नीच और घृणा की सीमा तक फैली छुआछूत के भेदभाव पर आधारित वर्णव्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। अयोध्या में पलटूदास को जिन्दा जला दिया गया और महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण पुरोहित ने तुकाराम की हत्या कर दी। दोनों समुदाय के कट्टरपंथियों ने कबीर का उत्पीड़न किया तो उच्चवर्णों से आने वाले तुलसीदास और मीराबाई भी यथास्थितिवादियों के कोप-भाजन बने। तो फिर मीरांबाई को दीक्षा देने वाले सन्त रैदास इस उत्पीड़न से कैसे बच सकते थे? नाभादास कृत 'भक्तमाल' पर प्रियादास की टीका में सन्तों-भक्तों के उत्पीड़न की कहानियाँ भरी पड़ी हैं। हमें यह न भूलना चाहिए कि इन सन्तों ने ब्राह्मणवादी वर्णव्यवस्था का प्रतिरोध करने के लिए भारी कीमत चुकायी है। भक्तमाल की टीका में उल्लेख है कि झाली रानी के रैदास की शिष्या बनने का समाचार पाते ही ब्राह्मणों के तन-बदन में आग लग गयी 'संगहुंते विप्र सुनि छिप्र तन आग लागी।'

सन्तों का प्रतिरोध कई रुपों में अभिव्यक्त हुआ है- आक्रोश के रुप में, चुभते हुए व्यंग्य के रुप में, हास-परिहास और उपहास के रुप में या फिर करुण वेदना के रुप में। कबीर के प्रतिरोध में जहाँ तीखा आक्रोश और व्यंग्य की धार है वही रैदास के प्रतिरोध में हास-परिहास, उपहास और करुण वेदना का स्वर प्रधान है। नागार्जुन की कविता में प्रतिरोध की सभी शैलियों का समावेश है, व्यंग्य-गर्भित आक्रोश का भी और हास-परिहास एवं उपहास का भी। कबीर और मीराँ मध्यकाल के सबसे विद्रोही कवि हैं तो रैदास सूरदास की तरह विनम्र विद्रोही कवि हैं। रैदास की यही विनम्रता, उनका प्रेम भाव और आध्यात्मिक भाव, यथास्थितिवादी चिन्तकों को ज्यादा सुविधाजनक लगता है, प्रतिरोधी स्वर उन्हें असहज बना देता है। अतः वे यह सैद्धांतिकी गढ़ लेते हैं कि प्रेम, अध्यात्म और भक्तिभाव ही रैदास की कविता का प्रमुख गुण है और यह भी कि उनकी कविता में सामाजिक चिन्तन और प्रतिरोध का स्वर ढूँढ़ना उनके कद को छोटा करना है। अब उन्हें कौन समझाए कि रैदास हों या कबीर, उनकी कविता में प्रेभभाव, अध्यात्मभाव और सामाजिक परिवर्त्तन के भाव एक ही व्यक्तित्व से उपजी अभिव्यक्तियाँ हैं। अपनी-अपनी सुविधा के लिए उन्हें अलग-अलग रुपों में न देखकर समग्रता में देखा जाना चाहिए। भीष्म साहनी के नाटक 'कबिरा खड़ा बाजार' में के संबध में नाटककार से कुछ मित्रों की यह शिकायत थी कि उसने अपने नाटक में कबीर के सामाजिक पक्ष को ज्यादा महत्त्व दिया है, उनके अध्यात्म पक्ष की अपेक्षा की है। नाटक की भूमिका में इसका उत्तर देते हुए भीष्म साहनी ने लिखा है-"नाटक में उनके काल की धर्मान्धता, अनाचार, तानाशाही आदि के सामाजिक प्ररिप्रेक्ष्य में उनके निर्भीक, सत्यान्वेषी, प्रखर व्यक्तित्व को दिखाने की कोशिश है। उनके अध्यात्म पक्ष को नकारना अथवा उसकी उपेक्षा करना अपेक्षित नहीं था, उस आधार भूमि को स्थिर कर पाना ही अपेक्षित नहीं था जिनमें उनके विराट व्यक्तित्व का विकास हुआ।"

रैदास का व्यक्तित्व कबीर जैसा निर्भीक और प्रखर भले न रहा हो लेकिन दोनों समकालीन मित्र एक ही सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक परिस्थितियों की देन थे जिनमें धार्मिक वर्चस्ववाद, धर्मान्धता, अत्याचार, अनाचार आदि समाज में हावी थे। सामंती-पुरोहिती उस अलगाववादी समाज व्यवस्था में साधनहीन असहाय जनता का धार्मिक-आर्थिक शोषण और राजसत्ता का दमन एवं उत्पीड़न बदस्तूर जारी था जिसका प्रतिरोध इन सन्तों के प्रेमभाव, अध्यात्म भाव और सामाजिक चिन्तन आदि सभी में किसी-न-किसी रुप में व्याप्त दिखायी देता है। क्या शील, सदाचार और नैतिकता का जीवन जीने वाले सन्तों का प्रेम और अध्यात्म भाव तत्कालीन सामंती-पुरोहित समाजव्यस्था में व्याप्त सामंतों की लंपट विलासिता, उनके उन्मुक्त यौनाचार आदि के विरुद्ध प्रतिरोध का स्वर नहीं मुखरित करता? क्या अध्यात्मभाव सामाजिक चिन्तन और प्रतिरोध का विरोधी है? यदि ऐसा ही होता तो आध्यात्मिक जीवन जीने वाले स्वामी अछूतानन्द 'हरिहर' दलित जागरण का सन्देश देते हुए पूरे वंचित समाज को प्रभावित कैसे कर पाते? किसान आन्दोलन का प्रचार प्रसार करने वाले स्वामी सहजानन्द सरस्वती में तो अध्यात्म और प्रतिरोध का अद्भुत सामंजस्य था। इस सन्दर्भ में हमें सतनामी सन्तों के विद्रोह को नहीं भूलना चाहिए।

रही बात प्रेम भाव की तो सारी वर्जनाओं को तोड़ने वाला निर्बन्ध प्रेम तो अपने आप में एक रोमांटिक विद्रोह है जो प्रेम पर लगायी गई तमाम बंदिशों-थोथी मर्यादा और सामंती नैतिकता के विरुद्ध व्यक्ति की स्वाधीनता की मांग करता है। व्यक्ति की यही स्वाधीनता सन्तों के यहाँ सामाजिक स्वाधीनता में रुपान्तरित होकर मानव मुक्ति का सन्देश देने लगती है। यही मानवीय प्रेम रैदास की कविता में तापस संस्कृति के प्रतिरोध में उठ खड़ा होता है-

"बन खोजन पिउ ना मिलहिं, बन मंह प्रीतम नाहिं ।
रैदास पिउ है बसि रह्यों, मानव प्रेमहिं मांह ।।"

इसी के समानान्तर 'ढाई आखर प्रेम' वाले कबीर का भी एक दोहा देखिए-

"परबति परबति मैं फिरया, नैन गंवाये रोइ।
सो बूटी पाऊँ नहीं, जातें जीवनि होई ।।"

दोनों ही दोहों में प्रतिरोध का स्वर अलग-अलग होने के बावजूद दोनों का निहितार्थ एक है- तापस संस्कृति का प्रत्याख्यान। सूफियों और सन्तों की साधना-पद्धति का मौलिक अन्तर यह है कि सूफी साधना निवृत्तिमूलक और जीवन निरपेक्ष है तो सन्तों की साधना-पद्धति प्रवृत्तिमूलक और जीवन -सापेक्ष है, जबकि दोनों के सामाजिक चिन्तन में पर्याप्त समानता है। दोनों मानव एक समान विश्वास करने वाली जीवन-पद्धतियाँ है। भक्ति आन्दोलन का मूल सन्देश है कि ईश्वर के सामने सभी बराबर हैं और उसे पाने के लिए अब पर्वत की गुफाओं और जंगलों में भटकने की आवश्यकता नहीं है,

गृहस्थ का जीवन जीते हुए भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। और यही संपूर्ण वैष्णव भक्ति की सामाजिक विशिष्टता है। रैदास का दोहा भक्ति आन्दोलन के इसी मूल सिद्धांत को चरितार्थ करता है। निवृत्तिमूलक साधना के विरुद्ध रैदास के प्रतिरोध का स्वर उपहासमूलक है तो कबीर के प्रतिरोध में दुख और बेचैनी का भाव विन्यस्त है और दुख, दुखिया दास कबीर की बेचैनी वाला दुख है जो अभावग्रस्त समाज की लोक पीड़ा की व्यंजना करता है-

"सुखिया सब संसार है, खावै अरु सोवै।
दुखिया दास कबीर है, जागै अरु रोवै।।"

माना कि अध्यात्म भाव ही, भक्तिभाव में लीन रैदास की कविता का प्रमुख पक्ष है लेकिन वह व्यभिचार और जारकर्म के विरुद्ध शील, सदाचार और नैतिकता का पाठ ही नहीं पढ़ाते बल्कि स्वयं भी वैसा ही जीवन जीते हैं। रैदास और कबीर दोनों 'कथनी बिन करनी' के बरक्स कथनी और करनी के सामंजस्य पर बहुत जोर देते हैं। रैदास बुद्ध की तरह ही जन्मना के ब्राह्मणवादी दर्शन के विरुद्ध कर्मणा के कर्मसौन्दर्य को रेखांकित करते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि ऊँचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई ऊँचा नहीं हो जाता बल्कि अपने गुण-कर्म से वह समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यह जीवन दर्शन रैदास और कबीर दोनों के अनेक दोहों में व्याप्त है। यह जन्मना के ब्राह्मणवादी चिन्तन के विरुद्ध गौतम बुद्ध की प्रतिरोधी संस्कृति (श्रम संस्कृति) का अगला विकास है। बुद्ध ने कहा था-

"न जच्चा वसलो होति न जच्चा होति ब्राह्मणो।
कम्मुना हि वसलो होति कम्मुना होति ब्राह्मणो।।"

इसी सामाजिक चिन्तन को रैदास ने अपनी भाषा में इस प्रकार लिखा है-

"रैदास बाम्हण मति पूजिये जउ होवै गुन हीन।
पूजिहिं चरन चंडाल के जउ होवै गुन परबीन।।

ब्राह्मणवादी चिन्तन के विरुद्ध रैदास के इस प्रतिरोध से आहत होकर ही तुलसीदास ने पलटवार किया था-

'पूजिअ विप्र सील गुन हीना, सूद्र न गुन गन ग्यान प्रवीना।'

बुद्ध, रैदास और तुलसीदास के इन उद्धरणों को एक साथ मिलकर देखा जाय तो वर्चस्ववादी जन्मना और प्रतिरोधमूलक कर्मणा के बीच वाद विवाद और घात-प्रतिघात का स्पष्ट स्वर सुनाई पड़ता है। बुद्ध और रैदास एक कतार में खड़े हैं तो वर्चस्ववादी विचार परंपरा की रक्षा के लिए तुलसीदास उनके सामने तनकर खड़े हो जाते हैं। अतः यह समझने में कठिनाई नहीं होना चाहिए कि रैदास और तुलसीदास के बीच हुए इस वाद-विवाद में कौन प्रगतिशील है और कौन पुनरुत्थानवादी?

मध्यकालीन भक्त कवियों में तुलसीदास महाकवि निराला के पसंदीदा कवि रहे हैं। निराला ने आधुनिक सन्दर्भों में न केवल उनकी रामकथा का विकास किया बल्कि स्वयं तुलसीदास पर एक लंबी कविता भी लिखी। तुलसीदास के अलावा संत रैदास मध्यकाल के ऐसे दूसरे कवि हैं जिनके सामने निराला नतमस्तक हैं। रैदास के सम्मान में लिखी गयी उनकी एक कविता की कुछ पंक्तियाँ निम्नलिखित हैं-

"रानियाँ अवरोध की घेरी हुई।
वाणियाँ ज्यों वनीं जब चेरी हुई।
छुआ पारस भी नहीं तुमने, रहे।
ज्ञान गंगा में समुज्ज्वल चर्मकार!
चरण छूकर कर रहा हूँ नमस्कार।"

रैदास के प्रति निराला के आकर्षण के अनेक कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि उन्होंने सामंती अवरोधों में घिरी हुई रानियों-मीराँबाई और उनकी पितामही सास झाली रानी को अपनी चेरी बना लिया। यह सवर्ण समाज में भी रैदास के सम्मान और लोकप्रियता का प्रमाण है। महाकवि कालिदास ने 'असूर्यंपश्या' राजमहिषियों के प्रति चिन्ता जतायी थी। रैदास ने न केवल महाकवि की राजमहिषियों को अवरोध-मुक्त किया बल्कि स्वयं कालिदास को भी चिन्ता-मुक्त किया। जो काम अपने समय में कालिदास नहीं कर सके थे उसे रैदास ने पूरा किया। अतः रैदास की इस सामाजिक-सांस्कृतिक उपलब्धि की ओर जाति का वर्गीय रुपान्तरण करने वाले निराला का ध्यान गया तो क्या आश्चर्य! निर्गुण धारा शास्त्र निरपेक्ष विचारधारा है जो वर्णाश्रमधर्मी सामाजिक विषमता को मिटाकर सामाजिक न्याय की मांग करती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि निर्गुण भक्ति आन्दोलन सामाजिक रुपान्तरण का क्रांतिकारी सांस्कृति आनदोलन था। इन परिवर्तनकामी सन्तों के मन में कहीं-न-कहीं समतामूलक समाज की कल्पना अवश्य रही है। यथास्थितिवादियों द्वारा यह भ्रम फैलाये जाने की कोशिश की जाती है कि सन्तों का उद्देश्य तो अच्छा है, मानवतावादी है लेकिन सामाजिक परिवर्तन का कोई 'माडल' उनके पास नहीं था। माना कि सन्त कवि पढ़े-लिखे नहीं थे लेकिन सामाजिक विषमता का कड़ुवा अनुभव उनके पास था। वे अनुभवजन्य व्यावहारिक ज्ञान से संपन्न थे। वह पोथी पढ़कर पोथी-पंडित भले न हुए हों लेकिन ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक सभी के पूज्य लोकज्ञानी अवश्य थे। उनके व्यावहारिक ज्ञान और तर्कों के सामने तमाम पोथी-पंडित लाचार थे। वे पोथियों की उलझाऊ बातों के बरक्स अपने सुलझे हुए विचारों से संपन्न थे।

अतः यह कैसे मान लिया जाय कि उनके पास समतामूलक समाज का कोई सपना ही नहीं था? उनके सपनों का समाज उनके फुटकल दोहों और पदों में बिखरा पड़ा है। रैदास के सपनों का सामाज कैसा था, इसे जानने के लिए उनके दो दोहों को उद्धृत किया जा सकता है-

"रैदास जु है बेगमपुरा, उह पूरन सुखधाम।
दुख अदोह अरु देष भाव, नाहिं बसहिं तिहिं ठाम।।"
"ऐसा चाहूँ राज मैं, जहाँ मिले सबन को अन्न।
छोट बड़े सब सम बसें, रैदास रहे प्रसन्न।।"

'बेगमपुरा' रैदास के सपनों का समतामूलक ऐसा समाज है जिसमें किसी को किसी प्रकार का कोई गम नहीं, ऐसा संपूर्ण समाज जो सुख का धाम है, जहाँ दुख, अदोह, ईर्ष्या-द्वेष आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। क्या यह रैदास के सपनों का आदर्श समाज नहीं है? दूसरे दोहे में रैदास ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जहाँ आपसी भाई-चारा हो, कोई छोटा-बड़ा न हो, अन्न के अभाव में कोई भूखा न रहा जाय। 'छोट बड़े सब सम बसें' तथा 'मिले सबन को अन्न' जैसी पंक्तियाँ सामाजिक और आर्थिक मुक्ति की ओर इशारा करने वाली पंक्तियाँ हैं। रैदास का यह समाजवादी माडल, वर्णव्यवस्था की नींव पर निर्मित तुलसी के 'रामराज्य' वाले सामंती माडल के सर्वथा भिन्न 'मार्क्स' के शोषण मुक्त-वर्ग विहीन सामाजिक माडल के कहीं ज्यादा करीब है। रैदास के इस समाजवादी माडल की घोर उपेक्षा की गयी, उसकी 'नोटिस' तक नहीं ली गयी जबकि सामंती आदर्श पर खड़े रामराज्य के माडल का इतना ढिंढोरा पीटा गया कि महात्मा गाँधी तक उसी माडल के अनुरुप आधुनिक भारत के निर्माण का सपना देखने लगे थे जो दुःस्वप्न बन कर रह गया। रामराज्य का सपना हिन्दुत्ववादियों को तो आकर्षित करता ही है लेकिन यदि कोई मार्क्सवादी लेखक या आलोचक

तुलसीदास के रामराज्य को उस समय की सबसे न्यायसंगत व्यवस्था घोषित करने पर आमादा हो जाय तो मानना पड़ेगा कि संस्कार सचमुच इतने प्रबल होते हैं कि मार्क्सवादी विवेक भी उसे दबोच पाने में लाचार हो जाता है।

रैदास के समाजवादी सपने की तर्ज पर कबीर के इस दोहे को भी देखा जा सकता है जो संपत्ति-संग्रह और सामंती विलासिता की उपभोक्ता-दृष्टि का प्रतिकार करता है-

"साईं इतना दीजिए जामें कुटुम समाय।
मैं भी भूखा न रहूँ साधु न भूखा जाय ।।"

रैदास मध्यकाल के ऐसे पहले रचनाकार है जिन्होंने सामन्तों की आन्तरिक गुलामी के विरुद्ध स्वाधीनता के प्रश्न को बड़ी शिद्दत से उठाया है-

"पराधीनता पाप है जानि लेहु रे मीत।
रैदास दास पराधीन सौं कौन करै है प्रीत।
पराधीन को दीन क्या पराधीन बेदीन।
रैदास दास पराधीन को सबहि समझै हीन।"

रैदास ने इस उद्धरण में सामंतों की गुलामी से मुक्त होने के लिए दलित समुदाय में अस्मिताबोध, स्वाभिमान और मान-सम्मान का भाव जगाया है। घृणा की सीमा तक फैली हुई अस्पृश्यता का दंश रैदास को भी झेलना पड़ा है, भले साधु-महात्मा बन जाने पर विप्र उनकी दण्डवत करने लगे थे। रैदास द्वारा उठाया गया स्वाधीनता का प्रश्न, आज के दलित एजेंडे से बाहर का प्रश्न नहीं है। गुलाम दलितों का कोई धर्म नहीं होता, हिन्दू धर्म-समाज में तो उनकी स्थिति जानवरों से भी बदतर रही है। अभिजन समाज की दृष्टि में वे हीन और नीच समझे जाते हैं। आज भी उन्हें अपने दलित धर्म की तलाश है। रैदास के इस प्रश्न को डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने राष्ट्रीय सन्दर्भ में उठाया है। राजनैतिक आजादी को आधी अधूरी आजादी मानने वाले डॉ0 अम्बेडकर ने दलितों की दुहरी गुलामी का प्रश्न उठाते हुए तिलक को संबोधित किया था कि आज अपनी आजादी गँवाकर इन्हें यह अहसास हुआ है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या कभी यह भी सोचा कि हजारों साल से चली आ रही सवर्णों की गुलामी से मुक्त होना दलितों का भी जन्मसिद्ध अधिकार है?

रैदास के 'बेगमपुरा' में राम तो जा सकते हैं लेकिन 'दशरथ सुत राम' का प्रवेश निषिद्ध है- रैदास हमारो राम जी दशरथ को सुत नाहिं। अवतारवाद में न रैदास की कोई आस्था है न कबीर की। कारण यह कि वर्णधर्म विरोधियों का संहार करने के लिए दशरथ के घर अवतार लेने वाले राम में वर्णधर्म विरोधियों की आस्था कैसे हो सकती है? ऐसी आत्महन्ता आस्था से रैदास भी परहेज करते हैं और कबीर भी। वर्णाश्रम समर्थक बुद्धिजीवियों ने अलगाववादी वर्णव्यवस्था को अकाट्य और पोख्ता बनाने के लिए ही पुनर्जन्म, कर्मफल और अवतारवाद जैसी अवधारणाओं का विकास किया है और वर्णविरोधियों के लिए कलिकाल की ह्रासोन्मुखी अवधारणा की कल्पना की है। कबीर और रैदास ही नहीं, आज के दलितत लेखक भाग्यवाद, पुनर्जन्म, कर्मफल और अवतारवाद के घोर विरोधी हैं।

जातिवर्ण-भेद और साम्प्रदायिकता की समस्याएँ मध्यकालीन समाज की सबसे बड़ी चुनौतियाँ रही हैं जिससे कबीर और रैदास दोनों जूझ रहे हैं- कबीर ज्यादा और रैदास कुछ कम। कबीर ने तो अस्पृश्यता की जिस अपमानजनक समस्या को बीच बहस में ला खड़ा किया था. डॉ. अम्बेडकर के दलित आन्दोलन के बावजूद आज भी दलित समुदाय उससे मुक्त नहीं हो पाया है। कबीर ने जिस तरह मनुष्य और मनुष्य में जाति वर्ण-भेद करने वाली वर्णव्यवस्था, उसके संस्थापक ब्राह्मण और ब्राह्मणों के श्रेष्ठता के मिथ्या दम्भ पर कड़े प्रहार किए हैं वैसा आक्रामक तेवर रैदास में नहीं दिखाई देता। ऐसा भी नहीं है कि अस्पृश्यता के दंश को रैदास ने कबीर से कम झेला हो, लेकिन किसी भी आघात को निर्घात झेल जाना रैदास के सन्त स्वभाव की विशिष्टता है। यही कारण है कि अभिजन समाज के लिए कबीर जितने असुविधाजनक हैं, उतने रैदास नहीं। कबीर में अस्वीकार का अदम्य साहस है तो रैदास में अपार धैर्य; एक का स्वभाव अक्खड़ और आक्रामक है तो दूसरे का शांत और गंभीर। सांप्रदायिकता के मुद्दे पर भी इन दोनों मित्र कवियों के सामाजिक चिन्तन में स्वभावगत यही अन्तर अपनी प्रभावी भूमिका निभाता है। कबीर जहाँ मंदिर और मस्जिद के नाम पर धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले हिन्दू और मुस्लिम दोनों समुदाय के कट्टरपंथियों को अपना निसाना बनाता है। और उनके कट्टरपन पर कड़ा-से-कड़ा प्रहार करता है वहीं रैदास दोनों समुदायों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी भाई-चारा बढ़ाने पर जोर देते हैं। कबीर का स्वर 'अरे इन दोऊ राह न पाई' अथवा हिन्दुन की हिन्दुआई देखी, तुरकन की तुरकाई जहाँ तिलमिला देने वाला है, वहीं रैदास का स्वर शांत और गंभीर-

"हिन्दू तुरक नहीं कछु भेदा, सभ मंह एक रक्त और मांसा।
दोऊ एकह कोउ दूजा नाहीं, पेख्यो सोध रैदासा ।।"

रैदास और कबीर दोनों की दृष्टि में राम और अल्लाह को मंदिर और मस्जिद में ढूँढ़ने वाले लोग राह से भटके हुए लोग हैं और उनको सही राह दिखाना ही इन दोनों संत कवियों का उद्देश्य है। अनेक जगहों पर सामाजिक उत्पीड़न और सांप्रदायिक विद्वेष के विरोध में दोनों के एक ही भावभूमि के समानान्तर दोहे देखने को मिलते हैं-

"तुरक मसीत अल्लह दूढ़इ देहरे हिन्दू राम गोसाईं
रैदास दूढ़िया राम रहीम कूं जहँ मसीत देहरा नाहीं।।-रैदास
"तुरुक मसीति देहुरै हिन्दू दहुँठा राम खोदाई ।
जहाँ मसीति देहुरा नाही तहाँ काकी ठकुराई ।।-कबीर

रैदास जहाँ मंदिर और मस्जिद के नाम पर धार्मिक उन्माद पैदा करने वालों को शान्तचित्त की मुद्रा में बड़ी सहजता के साथ समझाने और पाखण्ड-मुक्त होने का उपदेश देते हैं वहीं कबीर उनसे वादविवाद करते हुए प्रश्नवाचक मुद्रा में तनकर खड़े हैं। स्वभावगत यही अन्तर दोनों की रचना-प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है।

कबीर और रैदास दोनों संत कवि 'कथनी और करनी के सामंजस्य पर जोर देते हैं और यह मानते हैं कि करनी के बिना कथनी का कोई मतलब नहीं है। अकारण नहीं है कि रैदास कर्म को ही सबसे बड़ा धर्म मानते हैं और सबसे बड़ी पूजा भी। इसीलिए गीता की शैली में निष्काम कर्म करने की सलाह देते हैं-

'रैदास करम ही धरम है, करम करहु निहकाम ।'

दोनों में अन्तर यह कि जहाँ गीता में कृष्ण का उपदेश युद्ध से विचलित हो रहे अर्जुन को उनके वीर धर्म और क्षात्र धर्म की याद दिलाता है वहीं रैदास का सन्देश श्रमजीवी समाज को श्रमशील कर्म की ओर प्रवृत्त करता है।

रैदास और कबीर ही नहीं बल्कि सारे सन्त कवि अपने जातिगत पेशे

से जुड़े हुए कवि-कर्म में प्रवृत्त थे, न कोई कुंठा ओर न हीनता का भाव। उन्होंने श्रमजीवी और बुद्धिजीवी का अन्तर मिटाते हुए कर्म-सौन्दर्य का नया अध्याय लिखा था जो किसी राजधर्म, वीरधर्म और क्षात्रधर्म वाले कर्म सौन्दर्य से कहीं ज्यादा चमकदार और सार्थक था। रैदास का जीवन संघर्ष ही उनकी कविता का आत्मसंघर्ष था। रैदास की साधना श्रम के पसीने को सोने में बदल देने वाली ऐसी जीवन-साधना थी जो विष पीकर अमृत बाँटने का सन्देश देती थी। अतः उनका सन्देश, निष्क्रिय जीवन जीने वाले मठाधीशों और आरामतलब दार्शनिकों के कोरे उपदेशों से सर्वथा भिन्न था। निम्न दोहे में रैदास ने न केवल अच्छे साधु-संत के लक्षण गिनाए हैं बल्कि यह दोहा स्वयं उनके व्यक्तित्व और स्वभाव का आइना है जो चिन्तन में उनकी निष्पक्ष दृष्टि का भी संकेत देता है-

"रैदास सोइ साधु भलो, जो निहकपट निरपच्छ।
छमासील अरु सरल मनह, बाहर भीतर स्वच्छ।।

लोक-प्रचलित साधु-सन्तों के सत्संग और भंडारे की परंपरा उस समय की सबसे बड़ी सामाजिक क्रान्ति थी जो ब्राह्मणवाद और सामंतवाद के सामने चुनौती बनकर खड़ी थी। लोकज्ञानी सन्तों के बीच प्रचलित सत्संग की परंपरा शास्त्रज्ञानी पंडितों की शास्त्रार्थ परंपरा के समानांतर विकसित लोक परंपरा है जो वाद-विवाद के माध्यम से सार्थक संवाद स्थापित करने का संकेत देती है। भंडारे के बाद साधु-सन्तों के सत्संग होते थे। भंडारा साधु-सन्तों का वह कम्यून है जो सामूहिक उत्पादन और सामूहिक उपभोग पर आधारित प्राचीन आर्यों की यज्ञ प्रणाली की याद दिलाता है जिस पर बाद में ब्राह्मण वर्ण का एकाधिपत्य हो गया और उन्होंने उस समतामूलक प्रणाली को आर्थिक शोषण का कर्मकांड बना डाला। भंडारा की लोकधर्मी परंपरा देशभर के गुरुद्वारों में और विशेष रुप से पंजाब के गुरुद्वारों में लंगर के रुप में आज भी जिन्दा है। जात-पांत विरोधी सन्तों की वाणियाँ गुरुग्रन्थ साहब में संकलित हैं और वहाँ के लोकजीवन में विभिन्न अवरों पर उनका पाठ होता है। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हिन्दी के जात-पांत विरोधी निर्गुण सन्त कबीर और रैदास की वाणियाँ तो गुरुग्रन्थ साहब में संकलित है और सूर के कुछ पदों को भी उसमें स्थान मिला है लेकिन हिन्दी के सबसे बड़े कवि वर्णव्यवस्था के समर्थक तुलसीदास का एक भी पद उसमें संकलित नहीं है। हिन्दी प्रदेश के बाहर रैदास की वाणी जितने ध्यान से पंजाब में सुनी गई उतनी अन्यत्र नहीं। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों में चमार जाति के लोग अपनी जाति का परिचय रैदास के रुप में देते हैं। रैदास की वाणियों को दलित साहित्य का बीज माननेवाले माताप्रसाद जी ने ठीक ही लिखा है कि "रैदास जी का सम्मान इसी से आँका जा सकता है कि चमार जाति वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद, भदोही, चन्दौली और मिर्जापुर जिले में अपने को रविदास या रैदास कहने में गर्व का अनुभव करती है।"

भंडारा या लंगर संत गुरुओं की वह कीमती विरासत है जो सामाजिक और धार्मिक भदेभाव को मिटाकर एकजुटता, समानता और आपसी भाईचारे का सन्देश देती है। रैदास की अधिसंख्य वाणियाँ जाति-भेद, वर्ण-भेद और धर्म-भेद के विरुद्ध ऐसे जाति-धर्म निरपेक्ष समाज की कल्पना करती हैं जिसमें ब्राह्मण और शूद्र का, हिन्दू और मुसलमान का अथवा मंदिर और मस्जिद का कोई झगड़ा न हो। कबीर को छोड़ दें तो रैदास पहले सन्त कवि हैं जिन्होंने राम और रहीम की एकता स्थापित करने में अथक प्रयास किया है। वह स्पष्ट कहते हैं-

"मंदिर मसजिद दोउ एक है, इन मंह अन्तर नाहिं।
रैदास राम रहमान का, झगड़उ काउ नाहिं।
मस्जिद सौं कुछ घिन नहीं, मंदिर सों नहीं पियार।
दोउ मंह अल्लह राम नही, कह रैदास चमार।।
मुसलमान सों दोस्ती, हिन्दुअन सों कर प्रीत।
रैदास जोति सभ राम की, सभ है अपने मीत।।
रैदास उपजइ सभ इक नूर ते, ब्राह्मन, मुल्ला सेख।
सभ को करता एक है, सभ कूँ एक ही पेख।।

मध्यकाल के हिन्दू-मुस्लिम संयुक्त समाज में दोनों समुदाय आमने-सामने भी थे और दोनों के अपने-अपने अन्तर्विरोध भी थे। हिन्दू समाज में घृणा की सीमा तक फैली छुआछूत जैसी सामाजिक संकीर्णता व्याप्त थी वहीं मुस्लिम समुदाय में वैसी सामाजिक संकीर्णता न थी। वहाँ शेख और मोमिन दस्तरखान पर एक साथ बैठकर खाना खा सकते थे और इबादतखाने में एक साथ नमाज अता कर सकते थे, जबकि हिन्दू समाज में दलितों का मंदिर-प्रवेश एकदम वर्जित था। आगे चलकर आधुनिक काल में पेरियार ई0वी0 रामास्वामी नायकर और डॉ0 भीमराव अम्बेडकर को अछूतों के लिए मंदिर-प्रवेश का आन्दोलन तक चलाना पड़ा। इसी सामाजिक संकीर्णता के चतले डॉ0 अम्बेडकर को हिन्दू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ा था। कबीर की तरह रैदास ने भी अपनी कविता में 'ब्राह्मन, मुल्ला सेख' को चिन्हित कर लिया था, धार्मिक वर्चस्व कायम करने में जिनकी अहम भूमिका थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इनके प्रति कबीर का स्वर आक्रामक था तो रैदास का स्वर समझाने-बुझाने और उन्हें सही रास्ते पर लाने का था। दोनों समुदाय के पुरोहितों ने अपने धर्मशास्त्रों को दैवीविधान घोषित कर उन पर पवित्रता का मुलम्मा चढ़ा रखा था। दैवी विधानों से भयभीत सामान्य जनों को भय-मुक्त कर उनमें आत्मविश्वास जगाना, रैदास के लोकजागरण का प्रमुख उद्देश्य था जिसकी बानगी उपरोक्त उद्धरणों में देखी जा सकती है।

सामाजिक संकीर्णता ने हिन्दू समाज को जर्जर ओर खोखला बना रखा था अतः जन्मना के कल्पित आधारों पर खड़ी वर्णव्यवस्था और वर्णगत श्रेष्ठता के मिथ्या दंभ पर बराबर प्रहार करते हुए रैदास ने मनुष्यता का प्रश्न उठाया है और कर्म की प्रधानता पर जोर दिया है-

"जात पांत के फेर महिं, उरझि रहइ सब लोग।
मानुषतां को खात है, रैदास जात कर रोग।।
जनम जात मत पूछिये, का जात अरु पात।
रैदास पूत सभ प्रभु के, कोउ नहिं जात कुजात।।
जात-जात में जात है, ज्यों केलन के पात।
रैदास न मानुष जुड़ सकै, जौं लौं जात न जात।।
रैदास जनम के कारनै, होत न कोऊ नीच।
नर कूं नीच करि डारिहैं, ओछे करम की कीच।।
ऊँचे कुल के कारणै, ब्राह्मन कोय न होय।
जउ जानहि ब्रह्म आतमा, रैदास कहि ब्राह्मन होत।।

आजीवक परंपरा के सन्त कवि रैदास ने मध्यकाल में अकर्मण्यता का प्रसार करने वाली उपभोक्ता संस्कृति के विरुद्ध कर्म को महत्त्व देने वाली श्रम संस्कृति को स्थापित किया जो उनके सामाजिक चिन्तन का प्रमुख आयाम है। इसका उत्स कहीं-न-कहीं आजीवकों, लोकायतों और बुद्ध की चिन्तन परंपरा में निहित है। अतः रैदास ने जिस जाति-धर्म निरपेक्ष, वर्ण-विहीन और शोषण मुक्त समाज का स्वप्न देखा था उसका दायरा बहुत व्यापक था जो आज के समतावादी समाज की ओर इशारा करता है। समय की मांग है कि रैदास का समग्र मूल्यांकन करते हुए उनके सामाजिक प्रदेय को रेखांकित किया जाए।

दृष्टिकोण

• डॉ. हेमंत कुमार

समाज का बीज गणित

भारतीय समाज की पर्यावरणीय पृष्ठभूमि में यदि प्रश्न उठाया जाए कि जाति क्या है, तो उत्तर में इतनी प्रतिध्वनियाँ सुनायी पड़ती है कि व्यक्ति की सोच विभ्रमित हो जाती है। मसलन क्या जाति मानवीय विकासीय अन्तर्द्वन्दों का परिणाम है? क्या जाति सोची समझी रणनीति है? आदि आदि।

डार्विन ने जब जीवन के विकास की परिकल्पना की तो लिखा कि विविधता ही विकास का रॉ-मैटेरियल (कच्चा माल) है। वहीं जब लैमार्क ने अपनी व्याख्या की तो पाया कि उपर्जित लक्षणों की वंशानुगति होती है, अर्थात व्यक्ति जिन गुणों को अपने जीवन काल में अर्जित करता है वही उनकी संतानों में आते हैं, और जेनेटिक्स के अनुसार व्यक्ति जैसा दिखायी देता है वह उसका गुणसुत्रीय आधार एवं पर्यावरणीय स्थितियों का उसके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का मिश्रण होता है।

विज्ञान की इस दृष्टि के परिपेक्ष में यदि हम भारतीय इतिहास के तीन पात्रों अर्जुन, कर्ण एवं एकलव्य तीनों को परखें तो हम किसे सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। उस अर्जुन को जिसे समाज, गुरु व देवों सभी का सानिध्य व सहयोग प्राप्त हुआ। या फिर उस कर्ण को जिसने अपने क्षदम् (गुरु परसुराम से शिक्षा प्राप्ति के लिए) से ज्ञान अर्जित किया परन्तु आजीवन जातिय कुंठा एवं अवसरों पर वाधित कर दिये जाने के कारण युद्ध कौशल में वह पिछली पादान पर ही रहा। या उस एकलव्य को जिसमें भविष्य की अपार संभावनाओं के परिलक्षित होने के बावजूद भी गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अपने शिष्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धर्नुधर होने को दिए गए आर्शीवाद की रक्षा में भविष्य की एक संभावना को ही विकलांग बना गया। जिस शिष्य को उन्होंने वास्तव में कभी शिक्षा दी ही नहीं थी।

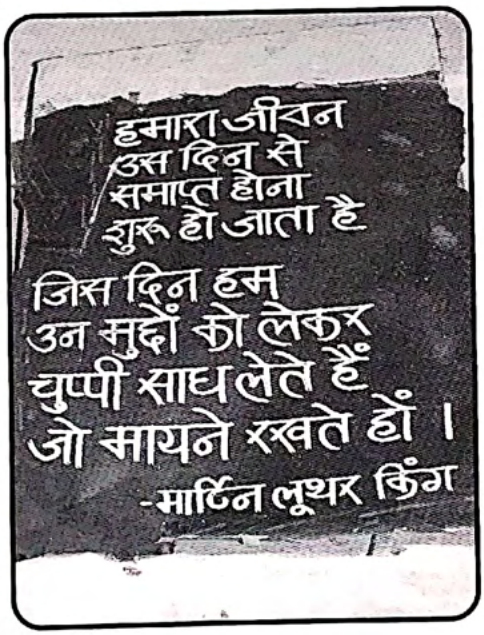

तीनो पात्रों का गुण-सुत्रों एवं पारिस्थितियों के दृष्टिकोण से विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि कर्ण व अर्जुन का गुणसूत्रीय आधार समान होने के बावजूद भी कभी बराबर न हो सके। शूद्र परिवेश का होने के कारण विपरीत परिवेश एवं विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पडा एवं अवसरों से वंचित होना पडा। वहीं एकलव्य को शूद्र होने के कारण गुरु दक्षिणा में अपने दाहिने हॉथ का अगूँठा देना पड़ा। क्या क्षत्रीय होने पर उसे ऐसा करना पडता?

क्या पौराणिक ग्रन्थ का यह उदाहरण भारतीय समाज में सामाजिक समरसता एवं समन्वय की मारीचिका सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

भारत में जातियों पर यदि सूक्ष्म दृष्टि डाली जाए तो दिखता है कि जातियों का बटवारा कर्म के आधार पर है। भारतीय इतिहास में भी जातियों के विभाजन का आधार कर्म को ही माना गया है। प्राचीन भारत में व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कर्म का चयन करने को स्वतंत्र था। फिर क्या कारण रहे होगें कि जाति का आधार जन्म मान लिया गया।

जाति स्थापना के संबंध में यदि विचार किया जाए तो दो मत उभर कर सामने आते है। प्रथम जाति की स्थापना धर्म गुरुओं द्वारा की गई एवं बताया गया कि व्यक्ति की जाति उसके पूर्व जन्मों में किए गए पुण्यों व पापों से निंधारित होती है। अतः व्यक्ति जिस जाति में जन्मा है उसे उसी के कर्मो को करते हुए जीवन यापन करना चाहिए।

द्वितीय मत के अनुसार बाल्यकाल में सभी बालको को समान शिक्षा एवं अवसर प्रदान किए जाते थे। शिक्षा की समाप्ति पर उसे अपनी रुचि एवं ज्ञान के अनुसार कार्यो का निष्पादन करना होता था वहीं उसकी जाति होती थी।

परन्तु इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं देखने को मिलता जिसमें किसी शूद्र की सन्तान को ब्राह्मण या क्षत्रीय होने का अवसर प्राप्त हुआ हो। अतः जन्म ही जाति का निर्धारक स्थापित होता है।

जाति के निर्धारक जो भी कारक रहे हों परन्तु यह तो स्पष्ट है कि हमारे समाज की अधिकांश ऊर्जा जाति आधारित कटुता में ही समाप्त हो जाती है। निम्न वर्गीय व्यक्ति अपने कौशल का प्रर्दशन अवसरों की अनुपलब्धता के कारण नहीं कर पाता, वहीं उच्च वर्गीय व्यक्ति जातीय दम्भ के कारण।

• अशोक आनन्द

-बेल्जियम में आतिथ्य

पर्यटकों का स्वतंत्र आगमन विश्व को जोडता है, 1984 में भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय ने उत्तर भारत के लिए पर्यटक संदर्शक यानी टूरिस्ट गाइड के रुप में मुझे प्रशिक्षित एवं अनुमोदित किया। देशी-विदेशी पर्यटकों के संदर्शक का मौका मिला और विभिन्न देशों के पर्यटकों के साथ काम करके तरह-तरह के अनुभवों से समृद्ध होता गया। और उनके चुनौती पूर्ण सवालों के उत्तर देने के लिए अत्यधिक अध्ययन करना पड़ा। धीरे-धीरे इस पर्यटन व्यवसाय में मुझे बहुत आनन्द आने लगा। एक तरफ आर्थिक लाभ होता तो दूसरी तरफ ज्ञानार्जन भी। इस व्यवसाय में रहकर तीस वर्ष ऐसे गुजर गये मानो कल ही की बात हो। अनेक विशिष्ट जनों को काशी दिखाने का दायित्व मुझे सौंपा गया और हर विशिष्ट को वाराणसी दिखाने व बताने हेतु मैं पूरी तैयारी से जाता था। 1990 में तो मुझे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भारत रत्न श्री नेल्सन मण्डेला की गाइडिंग का सुयोग मिला। इस महापुरुष को काशी दिखाकर मैं धन्य हुआ। और संदर्शन कला के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान बढ़ा। लगभग दस वर्ष पूर्व बेल्जियम दम्पत्ति लुक और नूरा काशी पधारे। और मैंने बड़े मनोयोग से उन्हें काशी दर्शन कराया। भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ भी ले गया। अपने सामाजिक क्रिया-कलापों की उनसे चर्चा की और अशोक मिशन स्कूल दिखाने भी ले गया। इतने अल्प संसाधन में प्राइमरी तक अंग्रेजी माध्यम स्कूल से बहुत प्रभावित हुए। और स्कूल के बच्चों के लिए झूला और अनेक खेल सामग्री उपहार स्वरुप दिया और यहीं से बेल्जियम निवासी दम्पत्ति से आत्मीयता और नजदीकियाँ बढ़ने लगीं। अपने देश बेल्जियम पहुँच कर इन दोनों ने भारत और वाराणसी की चर्चा अपने मित्रों के बीच की और वाराणसी में टूरिस्ट गाइड के रुप में मेरे नाम की सिफारिश की। श्रीमान मार्क और श्रीमती हिल्डे वाराणसी पधारे। वाराणसी आने पर मुझसे सम्पर्क किया। अत्यन्त व्यस्तता के नाते मैंने अपने कनिष्ठ संदर्शक श्री प्रदीप कुमार वर्मा को नगर परिभ्रमण के लिए लगा दिया। वाराणसी में उन्हें संतोष जनक सेवायें मिलीं और वे बहुत ही संतुष्ट हुए। इस दम्पत्ति के लिए मैं बहुत थोड़ा ही समय निकाल पाया। लेकिन मेरे कनिष्ठ और योग्य गाइड प्रदीप कुमार वर्मा ने अपने कुशल व्यवहार व कार्यशैली से इस दम्पत्ति को मित्र बना लिया। अब हमारी दोस्ती दो बेल्जियम परिवारों से हो गई। श्रीमान मार्क और उनके परिवार को भारत ने लुभा लिया। और वे कई बार वाराणसी पधारे। हम दोनों ने एक बार उत्तर भारत में भी उनका संदर्शन किया। वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हम दोनों को अपने नगर (जो ब्रुसेल्स से लगभग 60 किलोमीटर दूर है) लोकिस्ट्री आमंत्रित किया। पिछले वर्ष वीजा न मिलने के कारण हम बेल्जियम नहीं जा सके। अतिथ्य के लिए लालायित बेल्जियम दम्पत्ति बहुत ही निराश व दुखी हुए।

किन्तु पुनः इस वर्ष लोकिस्ट्री के मेयर से मिलकर हमारे दस दिनों के प्रवास को प्रायोजित करवाया। बेल्जियम में हम पर्यटक स्थलों समेंत वहाँ की संस्कृति, रीति-रिवाज, रहन-सहन का अध्ययन करेंगे और वहां के लोगों के बीच गंगा, काशी और बौद्धधर्म पर व्याख्यान देंगे। निश्चित ही संस्कृतियों के आदान-प्रदान से इस भूमण्डल में मानव मात्र के बीच "बसुधैव कुटुंम्बकम" की भावना बलवती

इलाहाबाद रा.ट.मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह को संबोधित करते कुलाधिपति माननीय राज्यपाल श्री बी.एल.जोशी (बांए) एवं पीएच.डी की उपाधि प्राप्त करते छात्रगण, बाएं श्री अमृतांशु।

मानद संपादक अमृतांशु को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान

8 फरवरी 2014 को वॉइस ऑफ ओबीसी के मानद संपादक श्री अमृतांशु को उत्तर प्रदेश राजर्शि टण्डन मुक्त विश्वविधालय द्वारा आयोजित आठवें दीक्षांत समारोह में हिन्दी भाषा एवं साहित्य में उनके शोध हेतु पीएच.डी की उपाधि प्रदान की गई। इस सुखद अवसर पर वॉइस ऑफ ओबीसी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई एवं उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हैं — संपादक

नाम : डॉ. अमृतांशु

पिता का नाम : श्री राजेश्वर विश्वकर्मा

जन्म तिथि : 10.09.1968

शिक्षा : सीएआईआईबी, पीएच.डी (हिन्दी)

पद : वरिष्ठ प्रबंधक

पता : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय, वाराणसी

शोध : हिन्दी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार जयनंदन के समग्र कथा–लेखन पर केन्द्रित।

शोध का विषय : "जयनंदन का कथा साहित्य–समग्र मूल्यांकन" (सामाजिक यथार्थ के विशेष सन्दर्भ में)

उपाधि : 18 सितम्बर 2013 को उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद के शोध साक्षात्कार के उपरांत उपाधि स्वीकृत। 25 सितम्बर 2013 को प्रोविजनल प्रमाण पत्र प्राप्त।

सन् 2009 में वाराणसी में कार्य के दौरान हिन्दी साहित्य में शोध हेतु तत्कालीन क्षेत्र महाप्रबंधक श्री डी.के. जैन से विभागीय अनुमति प्राप्त की। उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की राष्ट्रीय शोध चयन परीक्षा एवं "जयनंदन का कथा साहित्य–समग्र मूल्यांकन" (सामाजिक यथार्थ के विशेष सन्दर्भ में) विषय पर शोध सिनॉपसिस स्वीकृत होने के पश्चात शोध निर्देशक डॉ. रामप्रकाश कुशवाहा के निर्देशन में शोध कार्य आरम्भ किया। सन् 2012 अगस्त में शोध कार्य पूरा कर विश्वविद्यालय में जमा किया। सितम्बर 2013 में शोध कार्य के बाह्य परीक्षण हेतु काशी हिन्दू विश्वविद्यालय हिन्दी विभाग के प्रोफेसर सदानंद साही नामित किए गए जिन्होंने 18 सितम्बर 2013 को विश्वविद्यालय के समाकक्ष में विश्वविद्यालय के शोध प्रभारी डॉ. एस.सी.गुप्ता, निदेशक डॉ. बी.एन.सिंह एवं विश्वविद्यालय के अन्य प्राध्यापकों की उपस्थिति में बाह्य परीक्षण सम्पन्न किये।

25 सितम्बर 2013 को विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि हेतु प्रोविजनल प्रमाण–पत्र निर्गत हुआ।

आभार : शोध की इस अध्ययन यात्रा का श्रेय मैं, सर्वप्रथम अपने शोध निर्देशक डा0 राम प्रकाश कुशवाहा को देते हुए उनके प्रति आत्मीय आभार व्यक्त करना चाहूँगा। अपने मित्र बसंत आर्य (आयकर अधिकारी, मुम्बई) 25 वर्ष पूर्व मिले गणित के प्राध्यापक श्रद्धेय मोहम्मद बदीउज्जमा खान के प्रति अपना आदर व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हिन्दी शब्दों के शुद्ध उच्चारण एवं लेखन में न केवल ज्ञानवर्धन किया अपितु त्रुटियों के प्रति मुझे सचेत भी किया। डा0 हेमंत कुमार एवं पत्नी श्रीमती रानी अमृतांशु एवं अनुज अरविन्द कुमार का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने कहानियों के अध्ययन एवं शोध संबंधी सभी कठिन संकलनों, संशोधनों एवं टिप्पणियों में मेरा सहयोग किया। बैंक के तत्कालीन क्षेत्र प्रमुख, उप महाप्रबंधक श्री जिवाकांत नियोग, मुख्य प्रबंधक श्री कबीर भट्टाचार्य, राजभाषा अधिकारी श्रीमती रागिनी श्रीवास्तव के प्रति श्रद्धान्वत हूँ। मैं अपनी पन्द्रह वर्षीय बेटी चारूलिका शर्मा एवं आठ वर्षीय बेटे जय कार्तिकेय की जिज्ञासाओं को भी अपनी उर्जा का स्रोत मानता हूँ, जिनके चेहरों पर 'डॉक्टरेट' की उपाधि मिलने के पूर्व की बालमन खुशी उनके चेहरों पर छायी रही।

साहित्यिक कार्य : वर्ष 1990 से 1994 तक जमशेदपुर आकाशवाणी में अस्थाई हिन्दी कथा लेखन। 1991 में जमशेदपुर से ही प्रकाशित दैनिक समाचार–पत्र "आज" में बतौर उपसंपादक कार्य। हिन्दी की साहित्यिक पत्रिका "हंस", "दस्तक", "परिचय", शोध एवं समालोचना पत्रिका 'वरिमा', "इस्पातिका", 'समाजबोध' में शोध लेख एवं समाचार–पत्रों में लेख, कविताएं प्रकाशित। आकाशवाणी वाराणसी से कहानियों का प्रसारण। पिछले चार वर्षों से "वॉइस ऑफ ओबीसी" के मानद संपादक। अपने कार्यभार के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय गाजीपुर एवं वाराणसी से प्रकाशित राजभाषा की गृह–पत्रिकाओं में संपादन सहयोग। वर्तमान में हिन्दी कथा आलोचना पर कार्य।

(डॉ0 हेमंत कुमार, उप संपादक द्वारा डॉ0 अमृतांशु से लिए गए साक्षात्कार की संक्षिप्त प्रस्तुति उन्ही की भाषा में पाठकों के समक्ष है।)

— अशोक आनंद, संपादक

भारत के सभी नागरिकों के लिए पेंशन
पेंशन परिवार का एक हिस्सा बनें

नई पेंशन प्रणाली

पेंशन पहले कभी नहीं थी ऐसी

यूनियन बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपना एनपीएस खाता खोलें

- एनपीएस 18-55 आयु के हर भारतीय नागरिक को उपलब्ध है
- एक पारदर्शी निवेश मानदंडों के साथ पीएफआरडीए द्वारा विनियमित योजना
- आपके धन का प्रबंधन करने के लिए छह पेंशन फंड प्रबंधकों में से चयन
- टियर I खाता - आपकी बचत मुख्यतः वृद्धावस्था आय और सुरक्षा के लिए
- टियर II खाता - वित्तीय आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी समय निकासी योग्य
- जब आप शहर ,काम या पीएफएम बदलने का चयन करते हैं तो भी देश में कहीं से भी अपने खाते को संचालित करें
- कंपनियां और प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते खोल सकती हैं

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

हेल्पलाइन नम्बर: **1800 22 2244** (टोल फ्री नं.) | **022 2575 1500** (प्रभार्य)
www.unionbankofindia.co.in